



2026:AHC:125709

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 18785 वर्ष 2026

मुकेश पटेल

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : देवेश कुमार शुक्ला

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 5

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

- सूची संशोधित.
- आज दाखिल किया गया पूरक हलफनामा रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है।
- हमने आवेदक के वकील श्री देवेश कुमार शुक्ला की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री कपिल द्विवेदी और उत्तर प्रदेश राज्य के लिए माननीय ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
- यह जमानत याचिका आवेदक की ओर से केस क्राइम नंबर 0434/2025, पुलिस स्टेशन- औराई, जिला-भदोई, धारा 8/20 नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत दायर की गई है, जिसमें उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
- आवेदक के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक को मौके पर गिरफ्तार नहीं किया गया था और उसके कब्जे से कोई भी वस्तु बरामद नहीं की गई है। उसका नाम सह-आरोपी के बयान से ही सामने आया है, जिसे इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 19064/2026 में दिनांक 02.06.2026 को पारित आदेश के माध्यम से पहले ही जमानत दे दी

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है। इसके बाद उन्होंने यह तर्क दिया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 का अनुपालन नहीं किया गया है। अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन किसी भी स्वतंत्र गवाह द्वारा नहीं किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि हलफनामे में पांच मामलों के आपराधिक इतिहास को अच्छी तरह से समझाया गया है। आवेदक 19.03.2026 से जेल में बंद है। उन्होंने आगे कहा कि आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

6. विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है।

7. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, इस न्यायालय की राय में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 (1) (ख) के तहत आवश्यक शर्तें पूरी हो गई हैं और आवेदक ने जमानत के लिए अपना मामला सिद्ध कर दिया है।

8. अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, सजा की गंभीरता, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों को ध्यान में रखते हुए और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा यह सुविचारित मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला सिद्ध कर दिया है। जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

9. उपर्युक्त मामले में अपराध में संलिप्त आवेदक **मुकेश पटेल** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए।

(i) आवेदक किसी ऐसे अपराध को न तो करेगा और न ही उसमें भाग लेगा जो उस अपराध के समान हो जिसका उस पर आरोप लगाया गया है या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा। इस

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



शर्त का उल्लंघन होने पर, निचली अदालत इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(iv) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने वकील के माध्यम से ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, ट्रायल कोर्ट उसके विरुद्ध धारा 229-ए आईपीसी (अनुरूप धारा 269 बीएनएस) के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 सीआर.पी.सी. (अनुरूप धारा 84 बीएनएसएस) के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो ट्रायल कोर्ट उसके विरुद्ध कानून के अनुसार धारा 174-ए आईपीसी (अनुरूप धारा 209 बीएनएस) के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(vi) आवेदक को (1) मुकदमे की सुनवाई शुरू होने, (2) आरोप तय होने और (3) धारा 313 सीआरपीसी (धारा 351 बीएनएसएस के अनुरूप) के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहना होगा। यदि ट्रायल कोर्ट की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो ट्रायल कोर्ट ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, निचली अदालत द्वारा जमानत रद्द करने का आधार होगा।

(न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति संजीव कुमार)

12 जून, 2026

ए.एन. मिश्रा

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है । सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।